



कुलाधिपति
Chancellor

जय नारायण व्यास
.....विश्वविद्यालय,
.....University,
राज भवन, जयपुर – 302006
Raj Bhawan, Jaipur

क्रमांक : एफ.2(4)आरबी/2021/5799
दिनांक : 18 अक्टूबर, 2025

आदेश

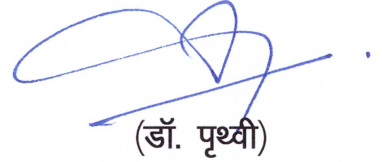
मैं, हरिभाऊ बागडे, राज्यपाल, राजस्थान एवं कुलाधिपति, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर उक्त विश्वविद्यालय के अधिनियम 1962 (यथासंशोधित) की धारा 11(3) व 11(7) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए खोजबीन समिति की सिफारिश पर, राज्य सरकार के परामर्श से प्रो. पवन कुमार शर्मा, हैड/कन्वीपर (मैनेजमेंट), निदेशक (स्कूल ऑफ कामर्स एण्ड मैनेजमेंट), निदेशक, आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन विभाग, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा को कार्यभार संभालने की तिथि से तीन वर्ष तक या सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक, इनमें से जो भी पहले हो, के लिए जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर का कुलगुरु नियुक्त करता हूँ।

यह नियुक्ति सक्षम प्राधिकारी द्वारा सतर्कता अनापत्ति प्रस्तुत करने के अधीन होगी।

हस्ता0 / –
(हरिभाऊ बागडे)
राज्यपाल, राजस्थान एवं कुलाधिपति

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. अतिरिक्त मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. प्रो. सुरेश कुमार अग्रवाल, कार्यवाहक कुलगुरु, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर।
5. प्रो. पवन कुमार शर्मा, हैड/कन्वीपर (मैनेजमेंट), निदेशक (स्कूल ऑफ कामर्स एण्ड मैनेजमेंट), निदेशक, आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन विभाग, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा।
6. कुलगुरु, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा।
7. कुलसचिव, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर।
8. प्रभारी अधिकारी, आई.टी. सैल, राजभवन को वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।



(डॉ. पृथ्वी)

सचिव,

राज्यपाल, राजस्थान